राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः NRHM/RCH-II/JSY/11/ 2357 दिनांकः 24/8/11

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषयः—जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के सूचारू एवं प्रभावी कियान्वयन हेतु जिले में की गयी तैयारियों की सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्वेश्य से राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिशिघ्र किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत सभी प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं (30 दिवस तक) को सभी सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की सेवाऐं निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके लिए आवश्यक दिशा—निर्देश भिजवाये जा चुके है तथा निःशुल्क आवश्यक दवाईयां एवं कन्ज्युमेबल्स क्रय कर उपलब्ध कराने के लिए बजट भिजवाया जा चुका है तथा प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं के निःशुल्क परिवहन हेतु भी सभी जिलों को बजट भिजवाया जा चुका है। प्रसूताओं को प्रसवोपरान्त निःशुल्क गर्म एवं ताजा भोजन उपलब्ध कराये जाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को बजट आवंटित किया जा चुका है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वयं सहायता समुह चिन्हित किये जाकर प्रसवोपरान्त सभी प्रसूताओं को सामान्य प्रसव होने पर 3 दिवस एवं सीजेरियन ऑपरेशन होने पर सात दिवस तक गर्म एवं ताजा भोजन उपलब्ध कराया जाना है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं (30 दिवस तक) को निःशुल्क रक्त सुविधा एवं निःशुल्क जॉच सुविधा भी उपलब्ध करायी जानी है। इस सन्दर्भ में दिनांक 23.08.2011 को प्रमुख शासन सचिव द्वारा विडियों कॉन्फ्रेंस के दौरान विस्तृत दिशा—निर्देश प्रदान किये जा चुके है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की तैयारियों हेतु समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अविलम्ब आयोजित की जानी है। अतः आपके जिले में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के सुचारू एवं प्रभावी कियान्वयन के लिए जिले में की गयी तैयारियों की विस्तृत सूचना संलग्न प्रपत्र—अ में दिनांक 25.08.2011 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। जिले में तैयार की गयी निजी वाहनों की सूची जिसमें जिलास्तर / उपजिला स्तर एवं तहसील स्तर पर उपलब्ध वाहनों की सूची भी सम्मीलित कर संलग्न प्रपत्र —ब में भिजवाना सुनिश्चित करें।

निदेशक (आरसीएच)

क्रमांकः NRHM/RCH-II/JSY/11/ 2357 दिनांकः 24/8/11

प्रतिलिपिः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक—एनआरएचएम, जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, सम्बन्धित — जोन।
5. प्रभारी सर्वर रूम।

निदेशक (आरसीएच)

प्रपत्र – 3-

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) की जिलेवार तैयारी की प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र

(सम्बन्धित जिले की सूचना रिपोर्टिंग प्रपत्र में तैयार कर सीएमएचओं द्वारा अविलम्ब राज्य नोडल अधिकारी जेएसएसके को ईमेल पता – **nojsy.raj@gmail.com** पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवायी जानी है।)

क.सं.	जिले का नाम	दवाईयों की उपलब्धता की स्थिति (आवंटित बजट, दवाईयों की खरीद की स्थिति, संस्थाओं पर दवाईयों की उपलब्धता की स्थिति आदि)	चिकित्सा संस्थानों पर निःशुल्क लैब जॉच की तैयारी की स्थिति (लैब टेक्निशियन, उपकरणों, रिऐजेन्टस की उपलब्धता, एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति)	निःशुल्क गर्म भोजन उपलब्ध कराये जाने की तैयारी की स्थिति (स्वयं सहायता समुह, एनजीओ, अन्य के द्वारा)	निःशुल्क रक्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिले में उपलब्ध ब्लड बैंक एवं ब्लड स्टोरेज युनिटस् के स्थान एवं उनकी कियाशीलता की स्थिति	निःशुल्क परिवहन की तैयारी की स्थिति		
						108 ऐम्बुलेंसों की संख्या एवं कार्यक्षेत्र मुख्यालयों का नाम	चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध बैस ऐम्बुलेंसों की संख्या एवं उनके मुख्यालयों के स्थान, वाहन चालको के नाम, मोबाईल नम्बर एवं संबंधित प्रभारी अधिकारी के दुरभाष/मोबाइल नम्बर की सूची	प्राईवेट/निजी वाहनों की संख्या एवं सूची मय वाहन का प्रकार/वाहन का नम्बर/वाहन मालिक का नाम, पता व मोबाईल, फोन नम्बर/वाहन चालकों का नाम, पता, मोबाईल/फोन नम्बर की डाइरेक्टरी की स्थिति

श्रीमान निदेशक आरसीएच के निर्देशानुसार उपरोक्त प्रपत्र समस्त संयुक्त निदेशक जोन एवं समस्त सीएमएचओ को तत्काल अपने कार्यक्षेत्र की सूचना भिजवाने हेतु जरिये ई–मेल प्रेषित है।

प्रपत्र – ब

निजी/प्राईवेट वाहनों की सूची

जिले का नामः

क्रं.स.	ब्लॉक का नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	उपस्वास्थ्य केन्द्र का नाम	गांव का नाम	वाहन का प्रकार (ऐम्बुलेंस/जीप/वैन)	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर	वाहन मालिक का नाम व मोबाईल नं.	वाहन चालक का नाम व मोबाईल नं
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोटः–जिला स्तर, उपजिला स्तर, तहसील स्तर पर उपलब्ध निजी वाहनो की सूची भी एक ही सूची में संकलित कर भिजवायी जाये।